न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1450

1. कजोड पुत्र बिहारी लाल
2. कन्हैया पुत्र बिहारी लाल
3. राजाराम पुत्र रामकिशोर
4. हजारी पुत्र बिहारी लाल

समस्त जाति ब्राहम्ण, समस्त निवासीगण ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा राजस्थान।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामजीलाल
2. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल
3. विनोद पुत्र रामजीलाल
4. सत्यनारायण पुत्र रामजीलाल
5. जायोती पुत्र रामजीलाल
6. रामा उर्फ रामपति पुत्र रामजीलाल
7. पिन्टू पुत्र कृष्ण कान्त
8. सुदामा पुत्र कृष्ण कान्त
9. लक्ष्मण पुत्र कृष्ण कान्त
10. शंकर लाल पुत्र कृष्ण कान्त
11. राम पुत्र कृष्ण कान्त
12. नैना देवी पत्नी मुरारी लाल
13. रवि कुमार पुत्र मुरारी लाल
14. बजरंग लाल पुत्र मूलचन्द

समस्त जाति ब्राहम्ण, समस्त निवासीगण ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट्स/प्रार्थीगण

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राजस्थान।

— तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 05.06.2025 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट प्रार्थना पत्र संख्या 47/2024 बउनवानी जगदीश व अन्य बनाम राजस्थान सरकार पर पारित किया गया।

उपस्थित :—

1. श्री राजकुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री सत्यनारायण शर्मा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 14 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 15 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—27.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 05.06.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 16.06.2025 को प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 14 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी

ख०नं० 113/50 रकबा 4.0468 है०, ख०न० 42 रकबा 2.1246 है० ख०न० 54 रकबा 2.5419 हैक्ट०, ख०न० 67 रकबा 0.3541 हैक्ट, ख०न० 68 रकबा 0.2909 हैक्ट०, ख0न० 77 रकबा 0.0632 हैक्ट, ख०न० 96/84 रकबा 6.4370 हैक्ट०, ख0न0 98/92 रकबा 3.2248 हैक्ट, कुल किता 8 कुल रकबा 19.0833 है० भूमि वाकै ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अनुसार दर्ज है।. प्रार्थीगण की भूमि पर पड़ौसी खातेदारों से सीमा संबंधी विवाद होता रहता है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं के निर्धारण के लिए पत्थरगढी करवाना चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का पुलिस इमदाद से सीमा चिन्ह अंकित करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 14 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा को आदेश दिये गये कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०नं० 113/50 रकबा 4.0468 है०, ख०न० 42 रकबा 2.1246 है० ख०न० 54 रकबा 2.5419 हैक्ट०. ख०न० 67 रकबा 0.3541 हैक्ट, ख०न० 68 रकबा 0.2909 हैक्ट०, ख०न० 77 रकबा 0.0632 हेक्ट, ख0न0 96/84 रकबा 6.4370 हैक्ट०, ख०न० 98/92 रकबा 3.2248 हैक्ट, कुल किता 8 कुल रकबा 19.0833 है० भूमि वाकै ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करें। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर न्यायालय के आदेश की पालना कराये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2025 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 05.06.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स कजोड पुत्र बिहारी लाल ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 05.06.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आदेश/निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बगैर ही आलौच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 14 ने आराजी खसरा नम्बर 113/50 रकबा 4.0468 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 2.1246 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 2.5419 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.290 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96/84 रकबा 19.0833 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित की सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि जो कि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा उक्त भूमि का बिना तकासमा करवाये ही प्रस्तुत कर दिया तथा अपीलान्टस् उक्त भूमि के समीपस्थ खातेदार है। उनकी उक्त भूमि के समीपस्थ खसरा नम्बर 111/50 114/50, 62, 71, 78, 82, 90, 90/92, 97/84 संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है। लेकिन अपीलान्टस् को जो कि समीपस्थ खातेदार है को बिना पक्षकार संयोजित किए ही आलौच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 लगायत 14 ने विवादित भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त भूमियों की सीमा चिन्हीत ही नहीं की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

गई अर्थात उक्त भूमि का सीमाज्ञान आज दिनांक तक नहीं किया गया है सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेन्टस् के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश करने चाहिए थे तथा तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी तथा अपनी रिपोर्ट में अंकन करना चाहिए था कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं हुआ है। अतः सर्वप्रथम सीमा चिन्ह अंकित करने चाहिए तथा अधीनस्थ न्यायालय को पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में उनको सूचित करते हुए सीमा चिन्ह अंकित करने के आदेश पारित करने चाहिए थे तथा तत्पश्चात सीमा चिन्ह (सीमाज्ञान) रिपोर्ट आने के बाद उक्त प्रकरण में पडौसी खातेदारान् को पक्षकार संयोजित कर पत्थरगढी का आदेश पारित करना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने एलआर एक्ट की धारा 111, 128 के उपबंधों की अवलहेना करते हुए आलौच्य निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टस् ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि "प्रार्थीगण का अपने पडौसी खातेदार से सीमा संबंधी विवाद होता रहता है अर्थात रेस्पोडेन्टस् ने स्वयं ने स्वीकृति दी है कि उक्त भूमि पर पडौसी खातेदारान् से सीमा संबंधी विवाद है लेकिन प्रार्थना पत्र में कही भी अंकन नहीं किया गया कि कौन–कौन पडौसी खातेदार है तथा उनके खसरा नम्बर क्या–क्या है तथा पडौसी खातेदारान को पक्षकार भी संयोजित नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी नहीं हो रखा है अर्थात सीमा चिन्ह का निर्धारित नहीं किया गया है तो रेस्पोडेन्टस् को उक्त भूमियों के बाबत् पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना किसी अधिकारिता के प्रिमेच्योर प्रार्थना पत्र सर्वप्रथम सीमाज्ञान के आदेश पारित करने चाहिए थे तथा पडौसी खातेदारान् को पक्षकार संयोजित कर उन्हें साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बगैर ही आलौच्य निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्टस् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के पडौसी खातेदार काश्तकार है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस् को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जाँच नहीं की गई तथा अपीलान्टस् को सुनवाई का अवसर दिए ही तथा सीमा चिन्ह बगैर स्थापित किए ही पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया गया जबकि कानूनन विवाद की स्थिति में स्वयं उपखण्ड अधिकारी मौके पर जाकर सभी समीपस्थ खातेदारान् की मौजूदगी में उनकी सुनवाई का सीमाचिन्ह अंकित करने की उक्त भूमियों की सीमा कहां तक स्थित है तत्पश्चात पडौसी खातेदारान् को सुनवाई कर आदेश पारित किया जावेगा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की खिल्लियों उड़ाते हुए आलौच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन में रेस्पोडेन्टस् का पडौसी खातेदारांन से विवाद होना स्पष्ट रूप से दर्शित है अर्थात उक्त भूमियों का सीमा संबंधि विवाद स्पष्ट रूप से दर्शित है तथा तहसीलदार रिपोर्ट जो अपीलान्ट की गैर मौजूदगी एवं उनको बगैर सूचित किए हुए बिना मौके पर गए ही तैयार की गई है तथा उक्त भूमिपर सीमा चिन्हों का निर्धारण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का परमकर्तव्य है कि ऐसी स्थिति में स्वयं मौके पर जायेगे तथा संबंधित पक्षकारान् को उपस्थित होने बाबत पाबंद करेगे तथा उनकी उपस्थिति में सीमाचिन्हो का निर्धारण करेगे तथा पक्षकारान् को पाबंद करेगे कि किसकी सीमा कहां तक है तथा एक दूसरे की सीमा में दखल नहीं करेगे ऐसा स्पष्ट आदेश पारित किया जायेगा तथा बाउण्ड्री विवाद की स्थिति यह तय किया जावेगा कि बाउण्ड्री कहा तक स्थापित होगी। सीमा निर्धारित होने के बाद सभी पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया जावेगा। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी विवादों को तय किए बगैर ही आलौच्य आदेश पारित करने कानूनी भूल की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं धारा 128 एल.आर. एक्ट के प्रावधानों का बगैर विवेचन, विश्लेषण किए बगैर राठौडी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजन्ड ऑर्डर तारीफ में होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार महोदय से उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

गई लेकिन तहसीलदार महोदय मौके पर गए ही नहीं तथा पटवारी हल्का को मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित कर दिया गया जबकि पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु सक्षम नहीं है तथा पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट तैयार करने बाबत् अपीलान्टस् जो कि समीपस्थ खातेदार को सूचित ही नहीं किया गया और आपसी सांठ गांठ से मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित कर दी गई तथा उक्त अवैधानिक रिपोर्ट के आधार पर आलौच्य निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलान्ट उक्त भूमि के समीपस्थ खातेदार है तथा अपीलान्ट का उक्त भूमि से संबंधि विवाद है बावजूद अपीलान्टस् को पक्षकार संयोजित किए बगैर ही आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अपीलान्टस् एग्रीवड पर्सन श्रेणी में होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना आवश्यक है। अपील की इजाजत हेतु धारा 96 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है।

अपीलान्ट उक्त भूमि के समीपस्थ खातेदार है तथा अपीलान्ट का उक्त भूमि से संबंधी विवाद है बावजूद अपीलान्ट्स को पक्षकार संयोजित किए बगैर ही आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। जिस कारण अपीलान्ट उक्त आदेश दिनांक 05.06.2025 से व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में होने तथा उक्त आदेश से प्रभावित होने के कारण अपील की इजाजत दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुंत करने की अनुमति दिये जाने की कृपा करें। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 47/2024 बउनवानी जगदीश व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2025 को निरस्त फरमावे। अन्य अन्यायोचित आदेश जो अपीलान्टस् के पक्ष में हो अता फरमावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 14 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 14 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी ख०नं० 113/50 रकबा 4.0468 है०, ख०न० 42 रकबा 2.1246 है० ख०न० 54 रकबा 2.5419 हैक्ट०, ख०न० 67 रकबा 0.3541 हैक्ट, ख०न० 68 रकबा 0.2909 हैक्ट०, ख0न० 77 रकबा 0.0632 हैक्ट, ख०न० 96/84 रकबा 6.4370 हैक्ट०, ख0न0 98/92 रकबा 3.2248 हैक्ट, कुल किता 8 कुल रकबा 19.0833 है० भूमि वाकै ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि पर पड़ौसी खातेदारों से सीमा संबंधी विवाद होता रहता है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं के निर्धारण के लिए पत्थरगढी करवाना चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का पुलिस इमदाद से सीमा चिन्ह अंकित करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 14 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा को आदेश दिये गये कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०नं० 113/50 रकबा 4.0468 है०, ख०न० 42 रकबा 2.1246 है० ख०न० 54 रकबा 2.5419 हैक्ट०, ख०न० 67 रकबा 0.3541 हैक्ट, ख०न० 68 रकबा 0.2909 हैक्ट०, ख०न० 77 रकबा 0.0632 हेक्ट, ख0न0 96/84 रकबा 6.4370 हैक्ट०, ख०न० 98/92 रकबा 3.2248 हैक्ट, कुल किता 8 कुल रकबा 19.0833 है० भूमि वाकै ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करें। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर न्यायालय के आदेश की पालना कराये जाने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2025 पारित किये गये हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 15 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 14 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट में पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 14 के कथनों को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 14 की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि के समीपस्थ पक्षकारान् है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2025 निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.06.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 27.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर